

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-1217/दो-9-2018-8(16)/2013
लखनऊ, दिनांक 17 मई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011, यथा संशोधित नियमावली, 2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री आनन्द प्रकाश राय, अनु सचिव, (लेखा) नियुक्ति विभाग को उनकी स्वयं की एवं उनकी पत्नी श्रीमती कुसुम राय की दिनांक 20.12.2017 को एवं दिनांक 22.01.2018 को डा0 स्वास्तिका सुवीर्या, के0जी0एम0यू0, लखनऊ से कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष क्रमशः धनराशि रू0-1,368/- एवं रू0-342/- अर्थात् कुल रू0-1,710/- (रूपये एक हजार सात सौ दस मात्र) की प्रतिपूर्ति किए जाने की श्रीराज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के उसी लेखा शीर्षक की मानक मद "49-चिकित्सा व्यय" के नामें डाला जायेगा, जिससे श्री आनन्द प्रकाश राय, अनु सचिव, (लेखा) नियुक्ति विभाग का वेतन आहरित किया जाता है।

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव


संख्या-1217(1)/दो-9-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- इरला चेक अनुभाग को अतिरिक्त प्रति एवं मूल बिल/बाउचर्स सहित।
- 3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 4- श्री आनन्द प्रकाश राय, अनु सचिव, (लेखा) नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 5- कम्प्यूटर प्रोग्रामर नियुक्ति विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 6- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

संलग्नक :- यथोक्त।

आज्ञा से,


(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव